राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत)

विवरणिका

पीएचडी कार्यक्रम, 2024-25

17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110 016, भारत

ईपीएबीएक्सः 91-11-26565600, 26544800

फैक्सः 91-11-2685 3041, 2686 5180

ई-मेलः **niepa@niepa.ac.in**

वेबसाइटः **www.niepa.ac.in**

मूल्यः ₹ 800/-

(₹400/- अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए)

परिकल्पना

ज्ञानात्मक उन्नति के माध्यम से अधिगमोन्मुख मानव समाज विकसित करना

लक्ष्य

राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उच्चकोटि के शिक्षण, शोध और
क्षमता निर्माण द्वारा शैक्षणिक नीति, योजना और प्रबंध के
क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र बनना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) का उद्गम वर्ष 1962 में उस कालखण्ड में हुआ था जब यूनेस्को ने शैक्षणिक योजना निर्माताओं और प्रशासकों के निमित्त एशियाई क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की थी जो वर्ष 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एआईईपीए) बन गया। तत्पश्चात् क्षमता निर्माण कार्य, शोध में तथा राज्य सरकारों को वृत्तिक सहयोग सेवा प्रदान करने में इसकी भूमिका और कार्य बढ़ने के कारण यह संस्थान वर्ष 1979 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) के रूप में रूपांतरित किया गया। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में इस संगठन द्वारा किए गए अग्रणी कार्य के दृष्टिगत मान्यता देते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगस्त, 2006 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। नीपा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है।

कुलपति का संदेश

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और शोध कार्य कराने वाला एक अग्रणी राष्ट्रीय संगठन है। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा ग्रेड 'ए' से प्रत्यायित किया गया है।

इस राष्ट्रीय संस्थान में आठ अकादमिक विभाग और दो केन्द्र हैं। संस्थान में उत्कृष्ट बहु-अनुशासनिक संकाय होने के साथ-साथ एक पुस्तकालय है जिसमें शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित पुस्तकें, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्र-पत्रिकाएं और शासकीय दस्तावेजों की बहुलता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) में शैक्षणिक नीति, योजना और प्रशासन में बहु-विषयक परिप्रेक्ष्य से पूर्णकालिक पीएचडी और अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। नीपा के शोध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य से, सभी स्तरों और प्रारूपों की शिक्षा सम्मिलित है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) का भारत के भीतर और भारत के बाहर स्थित सुप्रसिद्ध एवं अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगात्मक संबंध है। इन संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (आईआईईपी, पेरिस), यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, विश्व बैंक एवं अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां तथा देश-विदेश स्थित विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को पूरे विश्व के सरकारी विश्वविद्यालय और संस्थाओं से आने वाले विद्वतजनों और अध्येताओं के साथ वैचारिक आदान-प्रदान का सुअवसर प्राप्त होता है।

आशा है कि भविष्य में ऐसे युवा और मेधावी अध्येता इस संस्थान में आऐंगे जो पीएचडी स्तर पर शोध के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और उत्कृष्टता के प्रति समर्पित एवं प्रतिबद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में आपके विचार और विद्वता को आगे बढ़ाने के लिए पसंदीदा संस्थानों में अग्रणी रहेगा।

(प्रो. शशिकला जी. वंजारी)

मार्च, 2024

विषय सूची

1.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का परिचयात्मक विवरण	3
2.	पीएचडी कार्यक्रम 2024-2025	4
3.	सीटें एवं अर्हता	6
4.	चयन और प्रवेश	7
5.	कार्यक्रम की अवधि	10
6.	शुल्क और छात्रवृत्ति	12
7.	कार्यक्रम की संरचना	13
8.	मूल्यांकन	15
9.	पीएचडी कार्यक्रम का संचालन	16
10.	कार्यक्रम का विवरण	17
11.	सामान्य शर्तें	17
12.	संकाय	19
13.	प्रशासनिक कर्मी और सहायक सेवाएं	22
14.	अनुलग्नक-1: अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र	23

1. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का परिचयात्मक विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) शिक्षा विकास, नीति-निर्माण, योजना और शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में उच्चस्तरीय शैक्षणिक शोध और शिक्षण कार्य हेतु सेवारत है। एशिया महाद्वीप में यूनेस्को के एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इस संस्थान की स्थापना 1962 में की गई थी और आज यह पूर्ण विश्वविद्यालय (मानित) बन गया है। शिक्षा और विकास नीति तथा योजना और कार्यान्वयन के क्षेत्र में यह भारत के अग्रणी व उत्कृष्ट चिंतन का केन्द्र है। इसके अलावा, यहाँ भारत और विदेश स्थित शैक्षणिक कार्यालयों को प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान की जाती है।

इस राष्ट्रीय संस्थान में शोध, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों के अनुपम सम्मिश्रण के कारण ज्ञान के लिए यह शोधकर्ताओं का पसंदीदा गंतव्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का संस्थानिक वातावरण शैक्षणिक और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों से परिपूर्ण है। जिसके कारण पूरे विश्व से विद्वतजन और अध्यव्यवसायी इस संस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारे अधिकांश शोध अध्येता विमर्श में भाग लेते हैं और व्यावहारिक नीतिगत एजेंडे संबंधी अपने शैक्षणिक कार्य को जारी रखने के लिए चिंतन भी करते हैं।

यहाँ का शैक्षणिक माहौल विभिन्न अकादमिक और सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों से पूर्ण है। इसमें सुविख्यात शिक्षाविद् और बुद्धिजीवियों द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यानों के साथ सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

संस्थान की अकादमिक और संस्थानिक उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालय को 'ए' ग्रेड (3.05 सीजीपीए प्राप्तांक) प्रदान किया गया।

संकाय

राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान में सुयोग्य, बहुविज्ञ एवं अन्तःअनुशासनिक शिक्षक संकाय हैं जिनके पास बहुत सी विधाओं की विशेषज्ञता है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) वस्तुतः बहु-विधात्मक शैक्षणिक संस्था बन गई है जहाँ सामाजिक विज्ञान की विभिन्न विधाओं और संबद्ध विधाओं में प्रवीणता उपलब्ध है। यहां के संकायों के पास गहन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अकादमिक और व्यावसायिक अनुभव और शिक्षा के विविध विषय और उप-क्षेत्रों से संबंधित उच्च स्तरीय प्रकाशन उपलब्ध है। संकाय के प्रकाशनों के उद्धरण अग्रणी वैश्विक शोध प्रोद्धरण सूचकांक यथा स्कोपस में अंकित हैं। द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, स्प्रिंगर, ब्लूम्सबरी, रूटलेज (टेलर और फ्रैंसिस ग्रुप), उन कुछ अग्रणी प्रकाशन में से हैं जहाँ से हमारे अध्यापकों की कृतियाँ प्रकाशित होती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रकाशन संस्थान के शोध अध्येताओं के शोध पत्र सुविख्यात राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा यहां के संकायों की देख-रेख में अग्रेजी 'जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन' (जेपा) और हिन्दी जर्नल 'परिप्रेक्ष्य' पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

नीपा का पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र

नीपा में अत्याधुनिक पुस्तकालय है जिससे शैक्षणिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्य की रूचि रखने वाले अध्येताओं की आवश्यकता और बहु-विषयक दृष्टिकोण की पूर्ति होती है। पुस्तकालय संकाय, शोधकर्त्ताओं, प्रशासकों, नीति-निर्माताओं और अपने अकादमिक प्रयासों से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को विशेषज्ञ सेवा प्रदान करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के पुस्तकालय में 60,000 से अधिक पुस्तकों का संकलन है। यहाँ नियमित रूप से लगभग 240 भारतीय और विदेशी पत्र-पत्रिकाओं का सब्सक्रिप्शन है। यह पुस्तकालय पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है और यहाँ इन्टरनेट, एरिक और डेलनेट आधारित आभासी पुस्तकालय के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती हैं।

संस्थान के प्रलेखन केन्द्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित 18,500 से अधिक खण्डों का व्यापक और गहन संकलन हैं। प्रलेखन केन्द्र में शासकीय प्रतिवेदन, दस्तावेज और अन्य सरकारी प्रकाशन यथा शासकीय राजपत्रों, जनगणना रिपोर्टों, वर्ल्ड हैंडबुक, शैक्षिक सर्वेक्षणों, पंचवर्षीय योजनाओं आदि के विशिष्ट संग्रह उपलब्ध हैं। यहाँ ''शैक्षिक योजना और प्रशासन'' में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडेपा) तथा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (आईडेपा) के शोध प्रबंध लेखों का वृहद संग्रह उपलब्ध है। साथ ही यहाँ लगभग 10,000 दस्तावेजों सहित डिजीटल अभिलेखागार भी है।

अंतर्राष्ट्रीय भागीदार

2. पीएचडी कार्यक्रम 2024-2025

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान में बहु-विधात्मक सामाजिक विज्ञान के व्यापक दृष्टिकोण से संपृक्त शैक्षिक नीति योजना और प्रशासन में पीएचडी कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि के अध्येताओं की शोध क्षमता का निर्माण करना तथा शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और वित्त से संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का आधार प्रदान करना है। पीएचडी कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्ण किए गए शोधपरक अध्ययनों से यह आशा की जाती है कि इनसे नीति निर्माण, सुधारात्मक कार्यक्रमों तथा अन्य क्षमता निर्माण जैसे क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के अलावा ज्ञान के आधार को समृद्ध करने में योगदान होगा। विद्यालय और/अथवा उच्चतर शिक्षा के समेकित मुख्य शोध क्षेत्र निम्नवत हैं:

नीपा शोधार्थियों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श

- शैक्षिक नीति
- शैक्षिक योजना
- शैक्षिक प्रशासन
- शैक्षिक वित्त

शोध के मुख्य क्षेत्र

1. शैक्षिक नीति और कार्यान्वयन
2. शिक्षा के क्षेत्र में शासन और प्रबंधन
3. शिक्षा में बहु-विषयक परिप्रेक्ष्य
4. अध्यापक प्रबंध के विषय और वृत्तिक विकास
5. विद्यालय और उच्चतर शिक्षा में नेतृत्व
6. शिक्षा के क्षेत्र में समता, विविधता और समावेशी विषय
7. शिक्षा का वित्त पोषण

3. सीटें एवं अर्हता

3.1 वर्ष 2024-25 में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम 25 अध्येताओं का चयन किया जाएगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनिवार्य उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन किया जायेगा।

3.2 पीएचडी (पूर्ण-कालिक) कार्यक्रम

3.2.1 अभ्यर्थी जिन्होंने अध्ययन पूर्ण किया हो:

(क) 4 वर्षीय/8 सेमेस्टर की स्नातक डिग्री सामाजिक विज्ञान तथा संबद्ध विषय में पूरी करने के बाद 1 वर्ष/2 सेमेस्टर का स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम या 2 वर्षीय/4 सेमेस्टर का स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम, सामाजिक विज्ञान एवं संबंध विधाओं में 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के बाद पूरी की हो या संगत सांविधिक नियामक निकाय द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं संबद्ध विधाओं में स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य घोषित योग्यता हो; जिसमें कहीं भी ग्रेडिंग सिस्टम का अनुपालन किया जाता है के कुल या समतुल्य ग्रेडिंग प्वाइंट स्केल में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों।

अथवा

अभ्यर्थी के देश में विधि के तहत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुमोदित या अधिकृत मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित किसी विदेशी शैक्षणिक संस्था से समतुल्य योग्यता या उस संस्था द्वारा प्रत्यायित जिसे उस देश में शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता और मानकों के मूल्यांकन, प्रत्यायन या आश्वासन के लिए विधि के अधीन स्थापित या शामिल किया गया हो।

समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अभिनिश्चय के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इ.डब्ल्यु.एस.) और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जाएगी।

4 वर्षीय/8 सेमेस्टर के स्नातक डिग्री कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास कुल 75 प्रतिशत अंक या जहाँ भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता हो, प्वाइंट स्केल पर समान ग्रेड होना चाहिए। अनु. जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इ.डब्ल्यु.एस.) एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड की छूट दी जाएगी। (यह प्रावधान केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो 4 वर्षीय/8 सेमेस्टर के स्नातक डिग्री कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक हैं)।

(ख) अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ एमफिल कार्यक्रम पूरा किया है, या जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, सामाजिक विज्ञान और संबंध विधाओं में 55 प्रतिशत अंक के समतुल्य प्वाइंट या अपने स्वयं के देश में विधिगत प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुमोदित या अधिकृत मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्था से समतुल्य योग्यता प्राप्त की हो, जो उस देश में शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता और मानकों के मूल्यांकन, प्रत्यायन के लिए विधि के अधीन स्थापित या शामिल किया गया हो, से समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो, वे पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अभिनिश्चय के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इ.डब्ल्यू.एस.) और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जाएगी।

(ग) जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपनी स्नातकोत्तर डिग्री पूरी नहीं की है, वे आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने पिछले समेस्टरों में विहित अर्हता शर्तों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रवेश के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकें। यदि परीक्षा में विलंब होने के कारण कोई अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो प्रस्तुति की तारीख से छह माह का समय विस्तार डीपीसी द्वारा दिया जाएगा और प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

3.3 अंश-कालिक

(क) अंशकालिक आधार पर पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति होगी बशर्ते विनियम में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी की जाएं।

(ख) अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार अपने संगठन जहाँ वे कार्य करते रहे हैं के समुपयुक्त संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करेंगे जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि:-

(I) अभ्यर्थी को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) उस अभ्यर्थी के कार्यालयीन कर्तव्य में उसे शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति है।

(iii) आवश्यकता पड़ने पर उसे कोर्स-वर्क पूरा करने के लिए ड्यूटी से विरमित (रिलीव) कर दिया जाएगा।

4. चयन और प्रवेश

4.1 यह प्रवेश, संस्थान द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देश/प्रतिमान को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित मानदंड के आधार पर होगा।

पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन निम्नांकित विधियों का प्रयोग करते हुए किया जाएगाः

i. नीपा प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश देगा।

ii. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग श्रेणी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए अभिनिश्चय के अनुसार प्रवेश परीक्षा में 5% अंक की छूट देने का प्रावधान है।

iii. नीपा उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा।

iv. अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु 70% भारांक और साक्षात्कार में प्रदर्शन के लिए 30% भारांक दिया जाएगा।

v. नीपा अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आरक्षण नीति का पालन करेगा।

4.2 अभ्यर्थियों से पीएचडी पूर्णकालिक/अंशकालिक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में आवेदन करना अपेक्षित है।

पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा 800 रूपए, (अनु.जा./अनु.ज.जा./दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रू.) के आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान के पश्चात राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान से विवरणिका प्राप्त की जा सकती है।

नीपा की वेबसाइट (www.niepa.ac.in) पर ऑन-लाइन फॉर्म का लिंक उपलब्ध होगा। आवश्यक दस्तावेज (नीचे दी गई जाँच सूची), ऑन-लाइन भुगतान रसीद और शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और वित्त के व्यापक क्षेत्रों से संबंधित शोध प्रस्ताव/प्रयोजन लगभग 1000-1500 शब्दों का पृष्ठ सं. 5 पर दी गई रूपरेखा के अनुसार, आवेदन के साथ अपलोड किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी सेवारत हैं, उन्हें उस संगठन से एक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (NOC) अपलोड करना होगा। अनापत्ति प्रमाणपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी को नीपा में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए एक साल का अवकाश दिया जाएगा, साथ ही सेमिनार में भाग लेने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए भी आवश्यक अवकाश दिया जाएगा। अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) का प्रारूप राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र के साथ प्रेषित किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जांच सूची निम्नवत् है:

- 10वीं कक्षा का अंकपत्र और प्रमाण पत्र ☐
- 12वीं कक्षा का अंकपत्र और प्रमाण पत्र ☐
- समेकित अंक पत्र और स्नातक की डिग्री ☐
- समेकित अंक पत्र और स्नातकोत्तर की डिग्री ☐
- अंक पत्र और एमफिल डिग्री, यदि लागू हो ☐
- जाति/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो ☐
- कार्यानुभव प्रमाण पत्र, यदि अपेक्षित हो ☐
- अदा किये गये शुल्क की रसीद ☐
- शोध-प्रस्ताव (एस.ओ.पी.) ☐
- यदि कार्यरत हों तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ☐

साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थी को आवेदन के साथ जमा किये गये शोध प्रस्ताव (एस.ओ.पी.) की तीन मुद्रित प्रतियाँ लानी होंगी।

शोध प्रस्ताव (एसओपी)

शोध प्रस्ताव में शोध की मौलिक संरचना अभिव्यक्त होनी चाहिए। इसमें शोध शीर्षक, शोध विषय का विवेचन, शोध के प्रश्न और शोध पद्धति शामिल होनी चाहिए। इनमें मूल एवं संबंधित साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा का अनिवार्यतः उल्लेख होना चाहिए।

शोध प्रस्ताव की रूपरेखा

- शीर्षक
- शोध विचार
- शोध प्रश्न
- साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा
- संदर्भ ग्रंथ सूची

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार

केवल चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। (केवल ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं) नीपा, अभ्यर्थी की शोध योग्यता एवं शैक्षिक विषयों से संबंधित जानकारियों का आकलन करेगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थी से शोध प्रस्ताव, शोध साहित्य की सूझबूझ और आंकड़ों की व्याख्या तथा निष्कर्ष प्राप्त करने की योग्यता की भी परख होगी।

प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम 50 प्रतिशत शोध पद्धति और 50 प्रतिशत समाज विज्ञान और संबंधित विषयों से संबद्ध होगा।

5. कार्यक्रम की अवधि

5.1 पीएचडी कार्यक्रम

(क) पूर्ण-कालिक

I. पीएचडी कार्यक्रम न्यूनतम तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए होगा। जिसमें कोर्स वर्क शामिल होगा और यह अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने की तारीख से अधिकतम छह (6) वर्ष तक की होगी।

ii. अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित नीपा अधिनियम/अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परंतु पीएचडी कार्यक्रम पूरी करने की कुल समयावधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii. महिला शोध अध्येताओं को पीएचडी कार्यक्रम की कुल अवधि में अधिकतम 240 दिन तक का प्रसूति अवकाश/बाल देखरेख अवकाश दिया जा सकता है।

iv. महिला शोध अध्येता और दिव्यांग व्यक्ति (40% से अधिक अक्षमता वाले) को दो (2) वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है; तथापि, ऐसे मामलों में पीएचडी कार्यक्रम पूरी करने की कुल समयावधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) अंश-कालिक

अंशकालिक शोध अध्येता पीएचडी कार्यक्रम के पंजीकरण की तारीख से कोर्स वर्क सहित न्यूनतम तीन वर्ष की समयावधि के बाद अपना/अपनी पीएचडी शोध पत्र प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

शोध प्रबंध की उपाधि हेतु शोध अध्येताओं के लिए सामान्य अनुदेशः

(क) पीएचडी के अध्येताओं से आशा की जाती है कि वे शोध कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के दौरान संस्थान के परिसर में उपस्थित रहें। यह कार्यक्रम 15 जुलाई, 2024 से आरंभ होगा।

(ख) अंशकालिक पीएचडी अध्येताओं से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे संस्थान के नियमों और विनियमों के तहत कार्यक्रम की अकादमिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोर्स वर्क में अपनी उपस्थिति के अलावा सेमिनार, विमर्श तथा विशिष्ट व्याख्यान में भाग लेने के लिए निरंतर कैम्पस में उपलब्ध रहें।

(ग) अध्येता को अपने शोध निर्देशक के परामर्श से अध्ययन कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के अंत तक शोध सारांश तैयार कर प्रस्तुत करना होगा। पूर्ण-कालिक अध्येताओं के पंजीकरण पुष्टि के लिए यह आवश्यक शर्त होगी। यदि संबंधित पुरुष/महिला शोधार्थी निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहता/रहती है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

(घ) पंजीकरण की पुष्टि होने पर, पूर्ण कालिक अध्येता अनुमोदित शोध-विषय पर कार्य करेगा। अभ्यर्थी को अपनी पीएचडी थीसिस प्रस्तुत करने में योग्य होने के लिए पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण के पश्चात समय सीमा का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(ङ) अध्येता अपने शोध-निर्देशक के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम के पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष पूर्व (पूर्णकालिक शोधार्थी के लिए) और तीन वर्ष पूर्व (अंशकालिक शोधार्थी के लिए) अपने पीएचडी शोध कार्य की तीन प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा/करेगी। इसके अलावा, अध्येता शोध के सार की तीन प्रतियाँ अधिकतम 2500 शब्दों में प्रस्तुत करेगा। पुरुष/महिला अध्येता को शोध पत्र प्रस्तुत करने से न्यूनतम तीन माह पूर्व शोध सलाहकार समिति में अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने और इसके पक्ष में तर्क रखना होगा।

(च) पीएचडी कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के 2024-25 के शोध कार्यक्रम की नियमावली और विनियम से शासित होंगे।

6. शुल्क और छात्रवृत्ति

6.1 शुल्क की संरचना

क्र.सं.	शुल्क	राशि (रुपये)	टिप्पणी
1.	पंजीकरण शुल्क	5000.00	नामांकन के समय देय
	कार्यक्रम शुल्क	5000.00	
	पाठ्यक्रम मूल्यांकन शुल्क	1000.00	
	एलुमनी शुल्क	1000.00	
	चिकित्सा शुल्क	1000.00	
	पुस्तकालय	2000.00	
	कंप्यूटर केन्द्र	2000.00	
		17000.00	
2.	वार्षिक कार्यक्रम शुल्क	2500.00 (i) देय तिथि के बाद विलम्ब शुल्क- @50/- प्रतिदिन अगले 15 दिनों के लिए (ii) 15 दिनों के बाद विलंब शुल्क @100/- प्रतिदिन (iii) यदि कोई शोधार्थी 30 दिनों के भीतर वार्षिक कार्यक्रम शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम सूची से काट दिया जाएगा। पुनः पंजीकरण शुल्क के रूप में 5000 की अतिरिक्त राशि जमा करने के बाद पुनः पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी	पीएचडी शोधार्थियों द्वारा दूसरे वर्ष से प्रति वर्ष देय (अंशकालिक पीएचडी सहित)
3.	शोध प्रबंध प्रस्तुति (मूल्यांकन) शुल्क	4000.00	शोध प्रबंध जमा करने के समय देय
4.	शोध प्रबंध पुनः प्रस्तुति शुल्क	1000.00	अनुरोध प्रपत्र के साथ देय
5.	अनंतिम प्रमाण पत्र हेतु	1000.00	शोध प्रबंध शुल्क के साथ जमा करते समय देय
6.	उपाधि हेतु	1000.00	अनुरोध प्रपत्र के साथ देय
7.	उपाधि की नकल प्रति जारी करने हेतु	500.00	अनुरोध प्रपत्र के साथ देय
8.	प्रतिलेख जारी करना (ग्रेड/अंक विवरण)	500.00	अनुरोध प्रपत्र के साथ देय

नोटः संस्थान के निर्णय के अनुसार शुल्क की संरचना परिवर्तित की जा सकती है।

6.2 छात्रवृत्ति

पूर्ण कालिक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को नीपा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (नेट) कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) सहित उत्तीर्ण की हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमानों और प्रक्रियाओं के अनुरूप राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से उतनी ही धनराशि की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि छात्रवृत्ति की निरंतरता संबंधित पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की समुपयुक्त समितियों द्वारा विधिवत अनुमोदित अध्येताओं की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट के अधीन होगी।

पीएचडी कार्यक्रम के शोधार्थियों से राष्ट्रीय संस्थान के शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नीपा के शिक्षकों को अंशकालिक सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

7. कार्यक्रम की संरचना

7.1 **पीएचडी कार्यक्रम (पूर्णकालिक और अंशकालिक) दो भागों में संचालित की जाएगी।**

सभी अंशकालिक एवं पूर्णकालिक अध्येताओं के लिए एक वर्ष के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

भाग- एक	कोर्स वर्क
भाग- दो	पीएचडी शोध कार्य

नीपा पुस्तकालय

7.2 कोर्सवर्क

एक वर्ष की समयावधि के पाठ्यक्रम में दो सेमेस्टर हैं। प्रथम सेमेस्टर में दो-दो क्रेडिट के चार अनिवार्य पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, और दूसरे सेमेस्टर में दो-दो क्रेडिट के चार अनिवार्य पाठ्यक्रम (सीसी) होंगे। इसके अतिरिक्त, दो अनिवार्य गैर-क्रेडिट (सीएनसी) पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित होंगे। दोनों सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:

प्रथम सेमेस्टर (8 क्रेडिट)	दूसरा सेमेस्टर (8 क्रेडिट)
सीसी-1 : शिक्षा परिप्रेक्ष्य और भारत में शिक्षा	सीसी-5 : शोध पद्धति-II
सीसी-2 : शोध पद्धति-I	सीसी-6 : शिक्षा का वित्तपोषण
सीसी-3 : शिक्षा नीति	सीसी-7 : शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन
सीसी-4 : शैक्षिक योजना	सीसी-8 : शैक्षिक लेखन, शोध आचार और प्रकाशन
सीएनसी-I : शिक्षण/अनुसंधान सहायता (गैर-क्रेडिट)	
सीएनसी-II : सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन (गैर-क्रेडिट)	
कुल क्रेडिट = (16 क्रेडिट) मौखिक परीक्षा के लिए एक तिहाई भारांक दिया जाएगा	

7.3 शोध प्रबंध

पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अध्येताओं को किसी अनुमोदित विषय पर कार्य करना होगा और आवंटित शोध-निर्देशक के अधीन अपना शोधकार्य प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक अध्येता को डॉक्टोरल सलाहकार समिति (डीएसी)

दीक्षांत समारोह 21 अक्टूबर, 2022

अनुदेशित की जाएगी जिसमें विभागीय और बाह्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। डीएसी शोध अभ्यर्थियों को नियमित मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के शिक्षक कार्यक्रमों में शोध पद्धति और आचार, संप्रत्यात्मक और विषय से संबंधित अंर्तदृष्टि प्रदान करेंगे। मूल्यांकन प्रक्रियाओं और अग्रेषण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। डॉक्टोरल थीसिस की अंतिम प्रस्तुति विभागीय और बाह्य परीक्षण के अधीन होगी। डिग्री सफलतापूर्वक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दी जाएगी। संतोषजनक मूल्यांकन के पश्चात सफल अध्येताओं को पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाएगी।

8. मूल्यांकन

8.1 पाठ्यक्रमः अपेक्षित क्रेडिट, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम और शोध कार्य समापन के न्यूनतम मानक इत्यादि

I. पीएचडी कोर्स वर्क के लिए न्यूनतम 16 क्रेडिट अपेक्षित होगा जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2019 के अ.शा. पत्र एफ-1-1/2018 (पत्रिका/केयर) और शोध पद्धति कार्यक्रम द्वारा अधिसूचित ''शोध और प्रकाशन आचार'' पाठ्यक्रम शामिल होगा। शोध सलाहकार समिति पीएचडी क्रेडिट के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑन-लाइन पाठ्यक्रमों की संस्तुति भी दे सकती है।

ii. सभी पीएचडी अध्येताओं को अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अनुशासन के अतिरिक्त अपने चयनित पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षा शास्त्र/ लेखन में प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित होगा। पीएचडी अध्येताओं को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला संबंधी कार्यों का मूल्यांकन, शिक्षा/शोध सहायता के 4 से 6 घंटे प्रति सप्ताह अनुदेशित किया जाएगा।

iii. एक पीएचडी अध्येता अपने पीएचडी कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी थीसिस जमा करने योग्य होने के लिए न्यूनतम 55% अंक या यूजीसी के 10 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

8.2 डिग्री दिया जानाः मूल्यांकन और आंकलन विधि, डिग्री दिए जाने के लिए न्यूनतम मानक/क्रेडिट इत्यादि

I. उपयुक्त 8.1 विनियम के खण्ड (3) में निहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने तथा कोर्स वर्क के संतोषजनक समापन पर पीएचडी अध्येता को शोधकार्य कर शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करना होगा।

ii. शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व पीएचडी अध्येता संबंधित उच्चतर शैक्षिक संस्था के शोध सलाहकार समिति (आरएसी) के समक्ष पूर्व प्रस्तुति देगा जिसमें संकाय के सभी सदस्य और अन्य शोध अध्येता/विद्यार्थी उपस्थित होंगे।

iii. संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान के शोधकार्य में साहित्य लेखन चोरी का पता लगाने के लिए सुविकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक होगा, जिसके फलस्वरूप पीएचडी डिग्री दी जाएगी।

iv. पीएचडी अध्येता मूल्यांकन के लिए थीसिस प्रस्तुत करेगा जिसके साथ, (क) पीएचडी अध्येता एक घोषणा (वचन पत्र) प्रस्तुत करेगा कि कोई साहित्यिक चोरी नहीं हुई है और, (ख) शोध पर्यवेक्षक से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें थीसिस की मौलिकता का सत्यापन होगा कि किसी अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान में, किसी अन्य डिग्री/डिप्लोमा के अवार्ड के लिए कोई संबंधित/समान थीसिस जमा नहीं की गई है।

v. पीएचडी अध्येता द्वारा प्रस्तुत पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो और संबंधित उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में नियोजन में नहीं हो। ऐसे परीक्षक शिक्षाविद् होने चाहिए जिनका अपने क्षेत्र विशेष में विद्वत प्रकाशन हो। जहाँ कहीं भी संभव हो, एक बाह्य परीक्षक का चयन भारत के बाहर से किया जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा बोर्ड में शोध पर्यवेक्षक और दो में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक शामिल होना चाहिए और यह ऑनलाइन संचालित किया जाना चाहिए। मौखिक परीक्षण शोध सलाहकार समिति/संकाय के सदस्य/शोध अध्येताओं और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा।

vi. अपने शोध की प्रतिरक्षा के लिए पीएचडी अध्येता का मौखिक परीक्षण तभी किया जाएगा जब दोनों बाह्य परीक्षकों द्वारा सुझाए गए शुद्धि को समायोजित करने के बाद स्वीकृति की सिफारिश करते हैं, अगर कोई एक बाह्य परीक्षक इसे अस्वीकार करता है तो संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान इसे परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से वैकल्पिक बाह्य परीक्षक को थीसिस प्रेषित करेगा और मौखिक परीक्षा तभी होगी जब वैकल्पिक परीक्षक थीसिस स्वीकृत करने की सिफारिश करते हैं। यदि वैकल्पिक परीक्षक थीसिस स्वीकार करने की सिफारिश नहीं करते हैं तो थीसिस अस्वीकृत हो जाएगी और पीएचडी अध्येता को पीएचडी की उपाधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

vii. नीपा, थीसिस जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मौखिक परीक्षा परिणाम की घोषणा सहित पीएचडी थीसिस के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करेगा।

9. पीएचडी कार्यक्रम का संचालन

पीएचडी कार्यक्रम का संचालन शोध कार्यक्रम के सामान्य विनियम, 2024-25 नीपा से निदेशित होगा। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप हैं। विवेचना और किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्यतन दिशा-निर्देश मान्य होंगे।

10. कार्यक्रम का विवरण*

- ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च 2024 से 15 मई 2024 तक स्वीकार किया जायेगा।

1.	ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि	15 मार्च, 2024
2.	ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	15 मई, 2024
2.	लिखित परीक्षा	08 जून, 2024
3.	साक्षात्कार	13-14 जून, 2024
4.	अंतिम परिणाम की घोषणा	20 जून, 2024
5.	प्रवेश की तिथि	3-4 जुलाई, 2024
7.	पीएचडी सत्र/पाठ्यक्रम का आरंभ	15 जुलाई, 2024

*किसी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में इसकी सूचना राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की वेबसाइट www.niepa.ac.in के माध्यम से दी जाएगी।

11. सामान्य शर्तें

1. किसी पूर्णकालिक अध्येता को पीएचडी कोर्स की अवधि के दौरान किसी प्रकार की नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।
2. जो उम्मीदवार पहले से सेवारत हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में आवेदन करते समय संबंधित नियोक्ता से ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' के साथ-साथ आवश्यक अवधि के लिए छुट्टी दिए जाने का आवश्वासन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. राष्ट्रीय संस्थान के पीएचडी कार्यक्रमों के अध्येताओं को अपने शोध कार्यक्रम की अवधि के दौरान दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास की शर्त का पालन करना होगा। तथापि, शोध कार्य/क्षेत्रीय कार्य के संबंध में उन्हें शोध-निर्देशक की पूर्वानुमति से स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है।
4. आचरण, कार्यस्थल, अनुशासन, उपस्थिति, छुट्टी एवं अन्य पहलुओं के बारे में नीपा के नियमों व विनियम के अधीन सभी अध्येताओं को अनुशासन का पालन करना होगा।
5. सभी अध्येताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी तरह से रैगिंग की गतिविधियों में संलग्न नहीं होंगे। यदि कोई अध्येता इस तरह की किसी भी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे यूजीसी के निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार दंडित किया जाएगाः

रैगिंग रोधी : यूजीसी हैल्पलाइन सं. 1800-180-5522 (24X7 टोल फ्री) या
ई-मेलः helpline@antiragging.in
संपर्क सं.: 011-26544838 (नीपा)

आंतरिक शिकायत समिति : संपर्क सं.: 011-26544838

विद्यार्थी परामर्श केन्द्र : संपर्क सं.: 011-26544838

समान अवसर एकक : संपर्क सं.: 011-26544862

शिकायत निवारण समिति : संपर्क सं.: 011-26544865

छात्र अनुभाग (किसी भी सहायतार्थ) : संपर्क सं.: 011-26544823

6. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

शोध कार्यक्रम समिति

1.	प्रो. पी.के. मिश्र	अध्यक्ष
2.	प्रो. रस्मिता दास स्वाँइ	सदस्य
3.	डा. संगीता अंगोम	सदस्य
4.	डा. अमित गौतम	सदस्य
5.	डा. कश्यपी अवस्थी	सदस्य
6.	डा. अनुपम पचौरी	सदस्य

नोट : अंग्रेजी पाठ से भेद की स्थिति में पीएचडी विवरणिका 2024-25 का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कुलपति

प्रो. शशिकला जी. वंजारी
पीएचडी (अध्यापक शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः अध्यापक शिक्षा
ई-मेलः vc@niepa.ac.in

संकाय और अकादमिक स्टाफ

शैक्षिक योजना विभाग

प्रो. के. बिस्वाल, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष*
पीएचडी (शिक्षा का अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा में विकेंद्रीकृत योजना
ई-मेलः kkbiswal@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544839

प्रो. पी. गीता रानी, *प्रोफेसर*
पीएचडी (मौद्रिक अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का अर्थशास्त्र और वित्तपोषण
ई-मेलः geetharanip@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544854

डॉ. सांत्वना जी. मिश्रा, *सह-प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक योजना, परिमाणात्मक तकनीकी
ई-मेलः sgmishra@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544530

डॉ. एन.के. मोहंती, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा में विकेंद्रीकृत योजना
ई-मेलः nkmohanty@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544850

डॉ. सुमन नेगी, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (जनसंख्या अध्ययन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक गतिशीलता, क्षेत्रीय विकास और स्कूल शिक्षा
ई-मेलः suman@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544808

शैक्षिक प्रशासन विभाग

प्रो. कुमार सुरेश, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष*
पीएचडी (संघीय अध्ययन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः संघवाद और शिक्षा का बहु-स्तरीय शासन, शैक्षिक नीति व विविधता और समानता प्रबंधन
इ-मेलः kumarsuresh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544855

प्रो. विनीता सिरोही, *प्रोफेसर*
पीएचडी (मनोविज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार, नेतृत्व, शिक्षक शिक्षा, कौशल विकास, मार्गदर्शन और परामर्श
ई-मेलः vineetasirohi@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544862

डॉ. अन्शू श्रीवास्तव, *सह-प्रोफेसर*
पीएचडी (राजनीति विज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः विकास की राजनीति, उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में भारत में नीतियों व प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव
ई-मेलः asrivastava@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544863

डॉ. वी. सुचरिता, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (मानव विज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूल संस्कृति और शिक्षा
ई-मेलः sucharita@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544815

शैक्षिक वित्त विभाग

प्रो. मोना खरे, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष*
पीएचडी (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः आर्थिक विकास में क्षेत्रीय योजना
ई-मेलः monakhare@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544865

डॉ. वेटुकुरी पी.एस. राजू, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का वित्तपोषण
(लियन पर)

शैक्षिक नीति विभाग

प्रो. अविनाश के. सिंह, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डीन (अकादमिक एवं अनुसंधान)*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः नीति विश्लेषण और कार्यक्रम मूल्यांकन, विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन, जनजातीय शिक्षा
ई-मेलः aksingh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544856

प्रो. वीरा गुप्ता, *प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा का व्यवसायीकरण)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षा
(लियन पर)

प्रो. मनीषा प्रियम, *प्रोफेसर*
पीएचडी (राजनीति विज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः नीति विश्लेषण और सुधार; उच्च शिक्षा; विकेंद्रीकरण; शहरी नीति; सामाजिक संरक्षण
ई-मेलः priyam.manisha@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544866

डॉ. एस.के. मलिक, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (समाजशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूली शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई-मेलः skmallik@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544881

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग

प्रो. प्रणति पंडा, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षण, तुलनात्मक शिक्षा, नीति विश्लेषण और संस्थागत मूल्यांकन
ई-मेलः pranatipanda@niepa.ac.in
फोनः 26544838

प्रो. मधुमिता बंद्योपाध्याय, *प्रोफेसर*
पीएचडी (भूगोल)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूली शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई-मेलः madhumita@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544888

डॉ. अमित गौतम, *सह-प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः आईसीटी में शिक्षण और अधिगम, स्कूली शिक्षा, शिक्षक शिक्षण, डिजिटल शिक्षा शास्त्र
ई-मेलः amitgautam@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544889

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

प्रो. सुधांशु भूषण, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष*
अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र
पीएचडी (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा नीति विश्लेषण और योजनाएं
ई-मेलः sudhanshu@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544844

प्रो. आरती श्रीवास्तव, *प्रोफेसर*
परीक्षा नियंत्रक
पीएचडी (शिक्षा का अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः वंचितों की शिक्षा और अध्यापक शिक्षा
ई-मेलः aarti@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544864

प्रो. नीरू स्नेही, *प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई-मेलः neerusnehi@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544868

डॉ. संगीता अंगोम, *सह-प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा
ई-मेलः sangeeta@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544851

शिक्षा में प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास विभाग

प्रो. विनीता सिरोही, *प्रोफेसर, अध्यक्ष (प्रभारी)*
पीएचडी (मनोविज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार, नेतृत्व, शिक्षक शिक्षा, कौशल विकास, मार्गदर्शन और परामर्श
ई-मेलः vineetasirohi@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544862

डॉ. मोना सेदवाल, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा का इतिहास)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः सभी के लिए शिक्षा (ईएफए), वंचित समूहों की शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और उच्च शिक्षा
ई-मेलः monasedwal@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544871

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

प्रो. शशिकला जी. वंजारी, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष*
कुलपति, नीपा

डॉ. सांत्वना जी. मिश्रा, *सह-प्रोफेसर*
प्रभारी
राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र

डॉ. कश्यपी अवस्थी, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूल नेतृत्व विकास
ई-मेलः kawasthi@niepa.ac.in
दूरभाष 26544849

डॉ. सुभिता जी.वी., *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा
ई-मेलः subitha.ncsl@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544548

डॉ. चारू स्मिता मलिक, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः समता, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल नेतृत्व
ई-मेलः charu@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544551

डॉ. शादमा अबसार, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल नेतृत्व
ई-मेलः shadmaabsar@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544552

डॉ. पूजा सिंघल, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः लैंगिक और स्कूली शिक्षा नेतृत्व, वोकेशनल शिक्षा, शोध पद्धति
ई-मेलः pujasinghal@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544552

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

प्रो. प्रदीप कुमार मिश्र, *प्रोफेसर एवं निदेशक*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षण, अधिगम व शिक्षण के लिए तकनीक, वोकेशनल शिक्षा
ई-मेलः pkmisra@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544802

डॉ. निधि सदाना सभरवाल, *सह-प्रोफेसर*
पीएचडी (भूगोल)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा में पहुंच और समानता, वंचित समूहों की शिक्षा
ई-मेलः nidhis@niepa.ac.in
दूरभाषः 26565600

डॉ. अनुपम पचौरी, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक विकास, उच्चतर शिक्षा नीति विश्लेषण में गुणवत्ता के मुद्दे, संस्थागत मूल्यांकन
ई-मेलः anupampachauri@niepa.ac.in
दूरभाषः 26565539

डॉ. गरिमा मलिक, *सहायक-प्रोफेसर*
पीएचडी (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा का अभिशासन और प्रबंधन
ई-मेलः garimamalik@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544540

डॉ. जिनुशा पाणिग्रही, *सहायक-प्रोफेसर*
एमफिल/पीएचडी (शिक्षा का अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा का वित्तपोषण, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण
ई-मेलः jinusha@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544534

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक

प्रो. प्रणति पंडा, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष*
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा, नीति विश्लेषण और संस्थागत मूल्यांकन
ई-मेलः pranatipanda@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544838

प्रो. रस्मिता दास स्वाँइ, *प्रोफेसर*
पीएचडी (शिक्षा मनोविज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, नेतृत्व, संगठनात्मक व्यवहार, सामाजिक रूप से वंचितों की शिक्षा का प्रबंधन तथा प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा
ई-मेलः rasmita@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544845

श्री ए.एन. रेड्डी, *सहायक-प्रोफेसर*
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का वित्तपोषण
ई-मेलः anreddy@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544840

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एकक

प्रो. शशिकला जी. वंजारी
कुलपति एवं अध्यक्ष

प्रो. के. रामचंद्रन, *वरिष्ठ सलाहकार*

डॉ. बिनय प्रसाद, *उप-सलाहकार*
पीएचडी (लेटिन-अमेरिकन अध्ययन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः यूरोप और अमेरिका, राजनयिक इतिहास, उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण
ई-मेलः binay@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544842

परियोजना प्रबंधन एकक

प्रो. के. श्रीनिवास, *अध्यक्ष, कम्प्यूटर केन्द्र एवं पीएमयू*
पीएचडी (कम्प्यूटर साइंस)
ई-मेलः ksrinivas@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544883

प्रशासनिक कर्मी और सहायक सेवाएं

कुलसचिव *(प्रभारी)*
श्री निशांत सिन्हा
ई-मेलः registrar@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544818

सामान्य और छात्र अनुभाग
डॉ. डी.एस. ठाकुर, *प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)*
ई-मेलः ao@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544833

श्री सतीश कुमार, *अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशासन)*
ई-मेलः admingen@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544874, 816

छात्र अनुभाग
सुश्री सोनम आनंद सागर, *अनुभाग अधिकारी*
ई-मेलः inchargesc@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544823

सुश्री पूर्णिमा वर्मा
ई-मेलः studentcell@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544823

स्थापना अनुभाग
श्री भारत भूषण जैन, *अनुभाग अधिकारी*
ई-मेलः bharat@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544831, 832

वित्त और लेखा
श्री निशांत सिन्हा, *वित्त अधिकारी*
ई-मेलः fo@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544834

श्री कमल कुमार गुप्ता, *अनुभाग अधिकारी*
ई-मेलः kamalkr@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544824

कंप्यूटर केंद्र
प्रो. के. श्रीनिवास, *प्रोफेसर, अध्यक्ष (आईसीटी एवं पीएमयू)*
ई-मेलः ksrinivas@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544883

श्री चंद्रा कुमार एम.जे., *सिस्टम एनालिस्ट*
ई-मेलः chandrakumar@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544879

प्रकाशन एकक
श्री अमित सिंघल, *उप-प्रकाशन अधिकारी*
ई-मेलः niepapublications@niepa.ac.in
amit@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544875

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र
सुश्री पूजा सिंह, *पुस्तकालयाध्यक्षा*
ई-मेलः pujasingh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544813

डॉ. डी.एस. ठाकुर, *प्रलेखन अधिकारी*
ई-मेलः dsthakur@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544846

हिंदी प्रकोष्ठ
डॉ. रवि प्रकाश सिंह, *हिंदी संपादक*
ई-मेलः hindicell@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544876 (हिंदी प्रकोष्ठ)

छात्रावास
सुश्री पूजा सिंह, *हॉस्टल वार्डन*
ई-मेलः pujasingh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544900/971

अनुलग्नक-1

अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र*

1. पहुँच का स्तर और शिक्षा में समानता
   - शिक्षा की वृद्धि और विकास
   - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अधिगम का स्तर, शिक्षक, बुनियादी ढांचा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
   - शिक्षा में असमानता
     - लैंगिक, सामाजिक समूह, आर्थिक समूह
     - समावेशी शिक्षा
2. शिक्षा नीति विश्लेषण और कार्यान्वयन
   - अधिनियमों, नीतियों, और शिक्षा में योजनाओं की आलोचनात्मक शिक्षा
3. शैक्षिक विकासः अंतर-क्षेत्रीय संबंध
   - शिक्षा और आर्थिक विकास, गरीबी, असमानता और विकास
   - शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण
   - शिक्षा और श्रम बाजार/रोजगार/प्रवास
   - शिक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार
4. शैक्षिक योजना
   - शिक्षा की मांग
   - जनशक्ति नियोजन
     - शिक्षकों और अन्य मानव संसाधनों की योजना और प्रबंधन
     - शिक्षकों की आपूर्ति और मांग
   - शिक्षा के लिए प्रतिफल दर
   - शिक्षा में विकेंद्रीकृत योजना, अभिशासन और सामुदायिक भागीदारी
5. शिक्षा में सार्वजनिक, निजी और बाह्य वित्तपोषण
   - शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी
   - शिक्षा के वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीके और पहुंच, समानता और मात्रा पर उनके प्रभाव
6. शिक्षा, लैंगिक और विकास
7. तुलनात्मक शिक्षा
8. वैश्वीकरण, शिक्षा और विकास का अंतर्राष्ट्रीयकरण
9 लोक प्रशासन और शिक्षा
   - केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय
   - स्कूल नेतृत्व और संगठनात्मक विकास
10. अभिशासन, स्वायत्तता, जवाबदेही
   - व्यवस्था के स्तर पर शासन, संस्थागत शासन
   - संस्थागत स्वायत्तता
   - प्रत्यायन और मूल्यांकन
   - सार्वजनिक और निजी संस्थानों का प्रबंधन
11. पेशेवर नैतिकता और मूल्य
12. शिक्षा, साक्षरता और आजीवन अधिगम
13. प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा
14. कौशल विकास तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी)

* अनुसंधान के लिए प्रस्ताव, जो नीपा के लिए प्रासंगिक नहीं है। उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

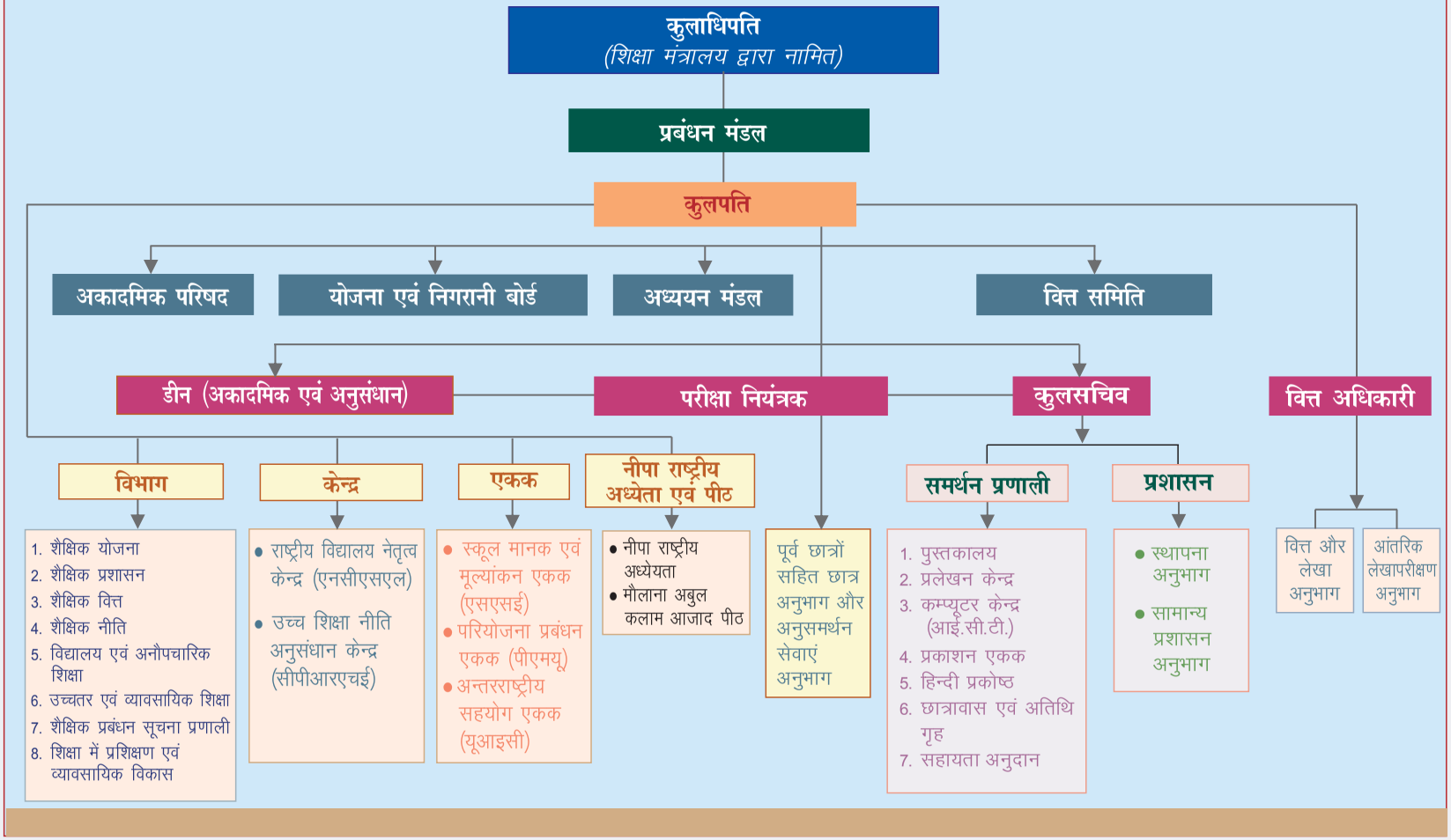

नीपा जर्नल एवं न्यूजलेटर

जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन

हिन्दी पत्रिका
परिप्रेक्ष्य
शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

एंट्रीप
अर्द्धवार्षिक न्यूजलेटर